न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/217/2017

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री सत्यप्रकाश पुत्र बनवारीलाल शौभाग ब्रिक्स, जाट बहरोड तहसील–मुण्डावर (अलवर) राज0		लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 11.01.2018

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 24.11.2017 के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड कार्यालय किशनगढबास (अलवर) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर ईंट भट्टा हेतु संपरिवर्तन संबंधी 02 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
5. आवेदक द्वारा प्रा.पत्र दि. 24.11.2017 के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग से सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम. प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2017/1332–33 दिनांकः 29.12.2017 के माध्यम तलब कर दिनांकः 11.01.2018 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जरिये पत्रांकः राजस्व/17/04 दिनांकः 05.01.18 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ। जिसके अनुसार उनके द्वारा प्रकरण से संबंधित पत्रावली उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर को भिजवाये जाने के कारण पत्रांकः राजस्व/17/02–5 दिनांकः 05.01.18 के माध्यम से उक्त प्रा.पत्र दि0 24.11.2017, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर को सूचना उपलब्ध कराने हेतु अन्तरित किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

8. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) उप धारा (i) व (ii) अन्तर्गत वर्णित है कि "उक्त उपधाराओं के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किन्तु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पॉच दिनों के पश्चात् नहीं किया जाएगा।"

9. उक्त अपील अन्तर्गत प्रत्यर्थी द्वारा उक्त प्रावधान का ध्यान नहीं रखा जाकर विधिक त्रुटि की है अर्थात् आवेदन का अंतरण (आवेदन--पत्र प्राप्ति दि0 05.12.2017, अन्तरण दिनांकः 05.01.2018) अधिनियम में वर्णित निर्धारित समयावधि 05 दिवस के पश्चात् किया गया है इसलिए अब यह प्रत्यर्थी की जिम्मेदारी है कि वह संबंधित विभाग (उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर) से सूचना प्राप्त कर अपीलार्थी को उपलब्ध करवाए। अतः प्रत्यर्थी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वांछित सूचना संबंधित कार्यालय से एकत्र कर उक्त आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10. अस्तु, अपील, उपरोक्तानुसार स्वीकार की जाती है।

11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

12. निर्णय घोषित ।

(राकेश कुमार)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)